क्रम-संख्या—33

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 जनवरी, 2004

माघ 2, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 91/सत्रह-वि—1-1 (क)-21-2003-टी०सी०

लखनऊ, 22 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 21 जनवरी, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2004]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) धारा 2 से 6 दिनांक 11 जुलाई, 2003 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 7 दिनांक 21 जनवरी, 2000 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित तथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (18) और (19) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(18) 'स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम' से ऐसा पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जिसके सम्बन्ध में सभी वित्तीय दायित्वों का वहन सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र या विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा,

(19) अध्याय ग्यारह-क के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में 'अध्यापक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण के लिए या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए विश्वविद्यालय या उसके किसी संस्थान या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित हो और इसके अन्तर्गत प्राचार्य या निदेशक भी है।"

धारा 20 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 20 में,–

(क) उपधारा (1) में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(गग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य;"

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (एक) में, शब्द और अक्षर "खण्ड (ग), (घ) और (ङ)" के स्थान पर "खण्ड (ग), (गग), (घ) और (ङ)" रख दिये जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित दो सदस्य विहित रीति से चक्रानुक्रम से नाम निर्दिष्ट करेगा।"

धारा 37 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 37 में,–

(क) उपधारा (2) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि यदि कुलाधिपति की राय में कोई महाविद्यालय सारभूत रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करेगा तो कुलाधिपति उस महाविद्यालय को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह उचित समझें, अध्ययन के पाठ्यक्रम की एक अवधि के लिए सम्बद्धता प्रदान करने की मंजूरी दे सकते हैं या विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकार को बढ़ा सकते हैं :

परन्तु यह भी कि जब तक कि किसी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी विहित शर्तों को पूरा नहीं कर दिया जायेगा, तब तक ऐसा महाविद्यालय अध्ययन के उस पाठ्यक्रम में, जिसके लिए पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, ऐसी सम्बद्धता के प्रारम्भ के दिनांक के एक वर्ष के पश्चात् प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा।"

(ख) उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(10) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ के पूर्व कोई महाविद्यालय, जिसे पहले ही किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी हो, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम को, जिसके लिए प्रवेश पहले ही हो गये हों, जारी रखने के लिए हकदार होगा, परन्तु ऐसा कोई महाविद्यालय उपधारा (2) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त किये बिना अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा।"

धारा 60–ङ का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 60-ङ में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(1) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय करने के लिए दायी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च, 1975 को या उसके पश्चात् सहायता अनुदान सूची में ले लिया गया हो :

परन्तु प्रथमतः यह कि महाविद्यालय को सहायता अनुदान मंजूर करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ने ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय, महाविद्यालय को सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कर दिया हो :

परन्तु द्वितीयतः यह कि किसी अनुदानित महाविद्यालय में पदों का सृजन उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार की अनुज्ञा से सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् किया गया हो और जो 31 मार्च, 1975 के पश्चात् उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुमोदन से सम्यक् रूप से भरे गये हों :

परन्तु तृतीयतः यह कि राज्य सरकार किसी ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी, जहां पदों के सृजन की अनुज्ञा उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस शर्त पर दी गयी हो कि अपने-अपने महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र इस प्रकार सृजित पदों के विरुद्ध वेतन के संदाय का दायित्व वहन करेगा :

परन्तु चतुर्थतः यह कि ऐसे महाविद्यालयों के सम्बन्ध में, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कतिपय विषयों की सम्बद्धता, कुलाधिपति द्वारा स्ववित्तपोषण योजना के अधीन प्रदान की गयी हो, राज्य सरकार ऐसे पाठ्यक्रम में शिक्षण देने के संबंध में नियुक्त अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी।"

नई धारा 66–क का बढ़ाया जाना

7–मूल अधिनियम की धारा 66 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और 21 जनवरी, 2000 को बढ़ायी गई समझी जायगी, अर्थात्:–

"66-क–राज्य सरकार समय-समय पर किसी विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।"

निरसन और अपवाद

8–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 2003 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2003

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2003

उद्देश्य और कारण

कतिपय विश्वविद्यालयों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) अधिनियमित किया गया। उक्त अधिनियम को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा संशोधित और पुनः अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालयों को किसी ऐसे महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जो विहित शर्तों को पूरा करता हो। उक्त अधिनियम के तत्समय प्रवृत्त उपबंधों के अनुसार महाविद्यालयों को अस्थायी या स्थायी रूप से सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जा रहा था। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने याचिका संख्या 5881 (एम० बी०)/2002 कमेटी आफ मैनेजमेंट परमहंस डिग्री कालेज, बहराइच बनाम कुलाधिपति एवं अन्य में दिनांक 18 नवम्बर, 2002 के अपने आदेश में यह अभिनिर्धारित किया है कि शब्द "सम्बद्धता" का तात्पर्य स्थायी सम्बद्धता से होगा, न कि अस्थायी सम्बद्धता से। किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने से पूर्व प्राधिकारी ऐसे मामलों की, जिन्हें वह उचित समझे, जांच कर सकता है, किन्तु सम्बद्धता स्थायी होनी चाहिए और यह कि सम्बद्धता के आधार पर महाविद्यालयों के निरीक्षण के समय सम्बद्धता की शर्तें पूरी न करने के कारण प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2), (8) और (9) के अधीन सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकता है। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, सम्बद्धता के सम्बन्ध में समुचित उपबन्ध किये जाने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना अपेक्षित था। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि ''स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम'' को परिभाषित करने, अध्यापक की परिभाषा को उपान्तरित करने, कार्य परिषद और विद्या परिषद् के गठन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने और महाविद्यालयों को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में समुचित उपबन्ध किये जाने के लिए सन् 1973 के उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय। उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 11 जुलाई, 2003 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2003) प्रख्यापित किया गया।

उपर्युक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक अपरिहार्य कारणों से विधान मण्डल के पूर्वगामी सत्र में पुरःस्थापित नहीं किया जा सका। चूंकि उपर्युक्त अध्यादेश का प्रवर्तन 13 अक्टूबर, 2003 समाप्त होने वाला था अतः यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अध्यादेश को दूसरे अध्यादेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 2003) प्रख्यापित किया गया।

उपर्युक्त अध्यादेश संख्या 17 सन् 2003 के प्रख्यापन के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया कि दिनांक 21 जनवरी, 2000, 1 सितम्बर, 2003 तथा 8 सितम्बर, 2003 को राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र संघों के निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में जारी निदेश को विधिमान्य बनाये जाने और राज्य सरकार को ऐसे निदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाये जाने की व्यवस्था करने हेतु उपर्युक्त अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2003 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2003) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश संख्या 28 तथा 21 सन् 2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
प्रमुख सचिव।

No. 91 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-21-2003-T.C.

Dated Lucknow, January 22, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 21, 2004.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2003

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

[U.P. Act no. 1 of 2004]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2003.

(2) Section 2 to 6 shall be deemed to have come into force on July 11, 2003 section 7 shall be deemed to have come into force on January 21, 2000 and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 2 of the President's Act No. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act no. 29 of 1974

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clauses (18) and (19) the following clauses shall be *substituted,* namely:—

"(18) 'Self finance course' means a course with respect to which all financial liabilities shall be borne by the Management of an associated or affiliated college or by a University.

(19) 'teacher' in relation to the provisions of this Act except Chapter XI-A, means a person employed in a University or in an institute or in a constituent or affiliated or associated college of a University for imparting instructions or guiding or conducting research in any subject or course approved by that University and includes a Principal or Director."

Amendment of section 20

3. In section 20 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1) *after* clause *(c)* the following clause shall be *inserted,* namely:–

"*(cc)* two members from amongst the Professors or Readers belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and two members from amongst the Professors or Readers belonging to other backward classes of citizen."

(b) in sub-section (2), in clause *(i) for* the words and letters "clauses *(c), (d)* and *(e)*" the words "clauses *(c), (cc), (d)* and *(e)*" shall be *substituted.*

Amendment of section 25

4. In section 25 of the principal Act, in sub-section (2) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:–

"Provided that if there is no member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or the other backward classes of citizen in the Academic Council constituted under this sub-section, the Vice-Chancellor may nominate two members belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and two members belonging to other backward classes of citizen from amongst the teachers of the University by rotation in the manner prescribed."

Amendment of section 37

5. In section 37 of the principal Act,–

(a) In sub-section (2) the following provisos shall be *inserted* at the end, namely:–

"Provided that if in the opinion of the Chancellor, a college substantially fulfils the conditions of affiliation, the Chancellor may sanction grant of affiliation to that college or enlarge the privileges thereof in specific subjects for one term of a course of study on such terms and conditions as he may deem fit:

Provided further that unless all the prescribed conditions of affiliation are fulfilled by a college, it shall not admit any student in the first year of the course of study for which affiliation is granted under the foregoing proviso after one year from the date of commencement of such affiliation."

(b) after sub-section (9) the following sub-section shall be *inserted,* namely:–

"(10) notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act, a college, which has already been given affiliation to a University before the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2003 in specific subjects for a specified period shall be entitled to continue the course of study for which admissions have already taken place but it shall not admit any student in the first year of such course of study without obtaining affiliation under sub-section (2)."

Amendment of section 60-E

6. In section 60-E of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted,* namely :–

"(1) the State Government shall be liable for payment of salaries against such posts of teachers and employees of every such college that was taken in grant-in-aid list by the State Government on or after March 31, 1975:

Provided firstly that the Director of Higher Education or an officer authorized by him to sanction grant-in-aid to the college has paid the salary against such posts within one year after the college was taken in grant-in-aid list:

Provided secondly that the posts in a grant-in-aid college which were created after the college was taken in grant-in-aid list with the permission of the Director, Higher Education or by the State Government and were duly filled with the approval of the Director of Higher Education or an officer authorized by him after March 31, 1975:

Provided thirdly that the State Government shall not be liable for payment of salaries of teachers and employees of a college where permission to create posts was granted by the Director of Higher Education or by the State Government on the condition that the management of the respective college shall bear the liability of payment of salary against the posts so created :

Provided fourthly that the colleges in which affiliation for certain number of subjects of undergraduate and post graduate courses has been accorded by the Chancellor under self financing scheme, the State Government shall not be liable to pay salary of teachers and employees appointed in connection with imparting instruction in such course."

Insertion of new section 66-A

7. *After* section 66 of the principal Act, the following section shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* on January 21, 2003, namely:—

"66-A. The State Government may issue such directions from time to time to a University on policy matters, not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary such direction shall be complied with by the University."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 28 of 2003

U.P. Ordinance no. 21 of 2003

U.P. Ordinance no. 17 of 2003

8. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) (Second) Ordinance, 2003 and the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2003 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2003, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) was enacted to amend and consolidate the law relating to certain Universities the said Act has been amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974. Under the said Act the Universities have been authorised to admit a degree college which fulfils the prescribed conditions to the privileges of affiliation. The degree colleges were being admitted to the privileges of affiliation temporarily or permanently in accordance with the provisions of the said Act for the time being in force. The High Court of Judicature at Allahabad has in its order dated November 18, 2002 in writ petition no. 5881 (MB)/2002 committee of management Paramhans Degree College Baharaich *Versus* Chancellor and others held that the word 'affiliation' shall mean the permanent affiliation and not the temporary affiliation. The authority may before granting affiliation to a degree college inquire into such matters as they deem fit but the affiliation should be permanent and that the authority may at the time of inspection of degree colleges by vertue of affiliation withdraw the privileges of affiliation under sub-sections (2), (8) and (9) of section 37 of the said Act on account of non-fulfilment of conditions of affiliation. Keeping in view of the said order of the High Court the said Act was required to be amended for making proper provision therefore it was, therefore, decided to amend the said Act of 1973 to define 'self finance course', to modify the definition of teacher, to give representation to

persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizen in th Constitution of Executive Council and the Academic Council and to make proper provision with respect t the admission of degree colleges to the privileges of affiliation. The Uttar Pradesh State Universitie (Amendment) Ordinance 2003. U.P. Ordinance no. 17 of 2003, was promulgates to implement the aforesaid decision.

The replacing bill of the aforesaid Ordinance could not be introduced in the last session of the State Legislature due to unavoidable reasons. Since the aforesaid Ordinance was to expire after October 13, 2003 it was desided to replace the aforesaid Ordinance by another Ordinance.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2003 (U.P. Ordinance no. 28 of 2003) was promugated by the Governor on October 15, 2003.

After the promulgation of the aforesaid Ordinance no. 17 of 2003 it was decided to amend, the aforesaid Act with retrospective effect to validate the instructions issued by the State Government on January 21, 2000, September 1, 2003 and September 8, 2003 in respect of the conduct of elections of the Students Unions of the Universities and of the colleges and to provide for empowering the State Government to issue such Instructions.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decisions the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2003

(U.P. Ordinance no. 21 of 2003) was promulgated by the Governor on September 29, 2003.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance no. 28 and 21 of 2003.

By order,
R. B. RAO,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 863 राजपत्र (हि०)–(2029)–2004–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी० ए०पी० 214 सा० विधायी–(2030)–2004–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।